

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और अदेश)

प्रारूप-1

(नियम 3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :—

- (1) 28-भगवानपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा के सदस्य का उप निर्वाचन होना है।
- (2) नामनिर्देशन—पत्र रिटर्निंग आफिसर को या श्री जय प्रकाश तिवारी, विनिर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) 17 मार्च, 2015 (मंगलवार) से (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वान्हः और 3.00 बजे अपरान्ह के बीच कक्ष संख्या 321 कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में दिनांक 24 मार्च, 2015 (मंगलवार) के अपरान्ह 03:00 बजे तक परिदत्त किए जा सकेंगे।
- (3) नामनिर्देशन—पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,
- (4) नामनिर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए कक्ष संख्या 321 कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद दिनांक 25 मार्च, 2015 (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से संवीक्षा की समाप्ति तक लिए जाएंगे,
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो उपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय कक्ष संख्या 321 कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में दिनांक 27 मार्च, 2015 (शुक्रवार) को 3.00 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 11 अप्रैल, 2015 (शनिवार) को प्रातः 08:00 बजे से सांय 05:00 तक के बीच मतदान होगा।

स्थान:— कक्ष संख्या 321 कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद।

तारीख:— 17 मार्च, 2015 (मंगलवार)


रिटर्निंग आफिसर,
28-भगवानपुर(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।